न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
10/23	एफएसएस एक्ट, 2006	16/08/2023

1. जगदीश प्रसाद *गुप्ता* खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 करौली ।

—आवेदक

बनाम

1. राजेन्द्र सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी उम्र 42 साल जाति माली निवासी माली मौहल्ला गुढाचन्द्रजी ,करौली मालिक विक्रेता मैसर्स खैमू मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड गुढाचन्द्रजी। —अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 29.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 14.06.2023 को लगभग 01:00 पीएम पर मैसर्स खैमू मिष्ठान भण्डार पर पहूँचा वहा पर आम जनता को विक्रय हेतु मावा 8 किलोग्राम विक्रय हेतु रखकर बेचा जा रहा था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त मावा 8 किलोग्राम मावा में से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा उसकी कीमत 300/– रू0 विक्रेता श्री विजेन्द्र सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 1 किलो मावा को प्लास्टिक की चार साफ सूखी खाली शिशियों में एकजूट कर बराबर–बराबर मात्रा में (250–250) ग्राम भरकर फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बौतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं कमांक एच–2180 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक भरतपुर राजस्थान को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) करौली को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/1899 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक भरतपुर राज, की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/719/ एक्ट/2023/765 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड पाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक भरतपुर राज, की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/719/एक्ट/2023/765 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा शिश्यिों में फोमेलिन की बूदे नहीं डाली थी तथा नमूना भी यह कह कर लिया कि हमें मावा की आवश्यकता है जिसका भुगतान भी आवेदन ने अप्रार्थी को नहीं किया गया है, अप्रार्थी उक्त दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी को बहुत गरीब व्यक्ति है तथा किराये की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक भरतपुर राज, की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/719/एक्ट/2023/765 दिनांक 21.06.2023 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड स्तर का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी